

संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगाँव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू है। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो विभिन्न अधिकारों एवं दायित्वों से अस्तित्व में आता है। यह अधिनियम इस महाविद्यालय में भी प्रभावशील है।

क्र.	सूचना विवरण	आवेदन की प्रक्रिया	शुल्क एवं लागत	सूचना प्राप्ति की अवधि	अर्थदण्ड	अपील
			सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क			
1.	किसी सरकारी फाईल या दस्तावेज का निरीक्षण करना	आवेदक को सूचना प्रति हेतु आवेदन लिखित में स्वयं, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा देना होगा।	1. 10 रु. नगद चालान नान जुडिशियल स्टाम्प, ड्राफ्ट, बैंकर चेक।	1. निर्धारित अवधि 30 दिवस 2. व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधी में 48 घंटे।	बिना तर्कसंगत कारण के सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब के लिये प्रतिदिन 250 रु. अधिकतम 25000/- दण्ड का प्रावधान है।	सूचना प्राप्त होने पर अपील - प्रथम अपील - वरिष्ठ अधिकारी से द्वितीय अपील - राज्य सूचना आयोग से तृतीय अपील - केन्द्रीय सूचना आयोग से की जा सकती है।
2.	किसी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण करना		2. सूचना की प्रति लेने हेतु प्रत्येक (A4/A3)			
3.	किसी दस्तावेज की प्रभावित कॉपी लेना।		3. बड़े आकार के कागज की वास्तविक लागत।			
4.	किसी सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।		4. नमूने या माडलों के लिये वास्तविक लागत			
5.	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध जानकारी धी प्रति लेना।		5. डिस्कट या फ्लापी हेतु प्रति फ्लापी हेतु प्रति फ्लापी 50/- टीप : निर्धारित शुल्क लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी का संदेय होना।			

सहायक सूचना अधिकारी
(डॉ. ए.के. चंदेल)
प्राध्यापक - अर्थशास्त्र

संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय,
सरगाँव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

सूचना अधिकारी
(डॉ. एस.पी. अम्बष्ठ)
प्रभारी प्राचार्य

संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय,
सरगाँव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)